न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/21/2024	2024 /61	22.05.2024	12.06.2024

1– मनोहर लाल पुत्र स्व0 निहाला निवासी एन. 17 सी, एफ–331, टी हाउस वजीरपुर जे. जे. कॉलोनी दिल्ली– 52

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्ट

2– काली पुत्री स्व0 निहाला पत्नी रमेश कुमार निवासी ग्राम रेतखाना तहसील इन्द्री जिला करनाल

3– तुलसी पुत्री स्व0 निहाला पत्नी तेजभान निवासी एफ. 555 फेज – 6, आयानगर देहली

4– केसरी पुत्री स्व0 निहाला पत्नी निहाल चन्द निवासी गली न0 22 वार्ड न0 41 पारस रामनगर भटिण्डा पंजाब

5– शान्ति देवी पत्नी स्व0 निहाला निवासी एन. 17 सी, एफ–331 टी हाउस वजीरपुर जे.जे. कॉलोनी दिल्ली– 52

6– पूरण पुत्र स्व0 निहाला निवासी एफ. 256 वजीरपुर जे. जे. कॉलोनी दिल्ली– 52

7– नरेश पुत्र स्व0 निहालाराम जाति डाकौत निवासी ग्राम बैगनहेडी तहसील तिजारा हाल आबाद मकान एन. 17 सी. एफ– 331 टी हाउस वजीरपुर जे. जे. कॉलोनी दिल्ली– 52

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा जिसके द्वारा असल रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा मृतक निहाला का विरासत नामान्तकरण संख्या 1564 दर्ज दिनाक 06.12.2023 निर्णय दिनाक 04.01.2024 को निर्णित कर मृतक निहाला का एक वारिस मिन अपीलान्ट के नाम अमल नही किया बमुराद मन्सूख किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील

उपस्थित–

01. श्री अब्दूल कलाम एड0 – वकील अपीलान्ट

02. श्री इस्लामुदीन एड0 – तरतीबी रेस्पोडेन्टान

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा जिसके द्वारा मृतक निहाला का विरासत नामान्तकरण संख्या 1564 दर्ज दिनाक 06.12.2023 निर्णय दिनाक 04.01.2024 वाके ग्राम बैगनहेडी तहसील तिजारा को निर्णित कर मृतक निहाला का एक वारिस मिन अपीलान्ट के नाम का अमल नही किया गया है,

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 20 रकबा 1.6900 है0, 21 रकबा 1.2000 है0, 22 रकबा 0.7600 है0 वाके ग्राम बैगनहेडी तहसील तिजारा में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पिता निहाला पुत्र जेठाराम की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस पर मिन अपीलान्ट का पिता निहाला अपनी उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है। और उसके मरने के बाद विधिक वारिसान मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान काबिज व दाखिल होकर आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। मृतक निहाला के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से है, नरेश कुमार (पुत्र), पूरण (पुत्र), मनोहरलाल (पुत्र), काली (पुत्री), तुलसी (पुत्री), केसरी (पुत्री), शान्ति (पत्नी) मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 तथा 6 लगायत 7 जो पिता निहाला व माता तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न हुये है। निहाला के मरने के बाद मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को उक्त आराजी निहाला से विरासत से प्राप्त हुयी है, उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 7 प्रत्येक का अलग अलग 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 भाग है, और इसी कदर ही काबिज व दाखिल होकन काश्त कारोबार करते आ रहे है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान ने निहाला के वारिसान की जॉच रिपोर्ट राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो को दे दिये थे, तथा मिन अपीलान्ट जो कि अपने परिवार से अलग रहता है, और राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो के समक्ष उपस्थित नही हो सका तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 7 राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो के समक्ष उपस्थित हो गये थे। तथा मिन अपीलान्ट के नाम के दस्तावेज भी राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो को दे दिये और राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने निहाला के सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज व मन्जूर करने का पूरा आश्वासन दिया था। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मृतक निहाला का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1564 दर्ज दिनाक 06.01.2023 व स्वीकार दिनाक 04.01.2024 को तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 07 के नाम मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया और बैजा तौर से मिन अपीलान्ट के हकूको को जायल करने की गरज से उसके नाम का अमल नामान्तकरण संख्या 1546 में नही किया गया। जिसकी न तो कोई सूचना दी और न ही कोई इश्तहार चस्पा किये और बिना कोई जानकारी दिये मृतक निहाला का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1546 मृतक निहाला के विधिक वारिस मिन अपीलान्ट के नाम का अमल नही किया गया। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान जो कि निहाला से विरासत से मिली आराजी पर अपने हिस्से अनुसार काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है, तथा मौके पर हमारा वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को कानून कायदे की कतई जानकारी नही है, और न ही मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को मिन अपीलान्ट के नाम के अमल नही होने की कोई जानकारी पूर्व में नही रही है। मिन अपीलान्ट दिनाक 08.02.2024 को पटवारी हल्का के पास आकर उक्त आराजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पता चला कि मृतक पिता निहाला की विरासत का नामान्तकरण में मिन अपीलान्ट के नाम का अमल नही था। जिस पर मिन अपीलान्ट ने कानूनी राय प्राप्त कर सभी दस्तावेज की नकुलात प्राप्त कर बिना देरी किये यह पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.01.2024 नामान्तकरण संख्या 1564 वाके ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा के विरूद्व अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.01.2024 को निरस्त किया जावे।

असल रेस्पोडेन्ट लैण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा से अपील में वर्णित बिन्दूओ पर बिन्दूवार जवाब तलब किया गया जो प्राप्त होकर शामिल मिसल है, जवाब में उल्लेखित किया गया है, कि नामान्तकरण संख्या 1564 ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 20 रकबा 1.69 है0, 21 रकबा 1.20 है0, 22 रकबा 0.76 है0 मुताविक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के तरतीबी रेस्पोडेन्टान व अन्य खातेदारान

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में आराजी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के मृतक निहाला पुत्र जेठाराम का परिवार ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा में निवास नही करता है, जो दिल्ली में निवास करते है। मृतक निहाला के वारिसान की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार सरस्वती विहार दिल्ली से ली गयी। तहसीलदार दिल्ल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मृतक निहाला के वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 1564 दिनाक 04.01.2024 स्वीकृत किया गया है, प्राप्त जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट मनोहरलाल का नाम अंकित नही है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान वकील तरतीबी रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो का समर्थन करते हुऐ तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 07 की और से संयुक्तरूप से उपस्थित होकर एक शपथ–पत्र इस आश्य का पेश किया है, कि ग्राम बैगनहेडी तहसील तिजारा में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 20 रकबा 1.6900 है0, 21 रकबा 1.2000 है0, 22 रकबा 0.7600 है0 में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी खाता अनुसार अज किस्म बारानी सोयम मुताबिक नकल जमाबदी सम्वत 2074–2077 के हमारी कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर हम बतौर हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार काबिज वो दाखिल है। उक्त आराजी राजकीय एवं सिवायचक नही है, और उक्त आराजी खसरा नम्बरान में सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी निहालाराम पुत्र जेठाराम जाति डाकोत निवासी ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा से जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1564 दिनाक 04.01.2024 से प्राप्त हुयी है, जब पटवारी हल्का को विरासत का शपथ–पत्र दिया था तो हमारा भाई तहसीलदार के समक्ष पेश नही हुआ था और इस लिये हमारे भाई मनोहर लाल का नाम रिकार्ड में दर्ज व मंजूर हो गया है, हमारे भाई का नाम हाल रिकार्ड में दर्ज व मंजूर नही हुआ था, यदि अब हमारे सगे भाई मनोहर लाल पुत्र स्व0 निहाला राम जाति डाकोत निवासी बैगनहैडी तहसील तिजारा हाल निवासी एफ.–256, एफ.–ब्लॉक, जे. जे. कॉलोनी वजीरपुर अशोक विहार नार्थ वेस्ट दिल्ली– 110052 दर्ज व मंजूर हो जाता है, तो हमें कोई ऐतराज नही है। बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है, और अब हाल रिकार्ड में हमारे भाई का नाम दर्ज व मंजूर कर दिया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा के नामान्तकरण संख्या 1564 दिनांक 04.01.2024 के विरूद्व दिनाक 17.05.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 04 माह 13 दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.01.2024 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 08.02.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा नम्बरान 20 रकबा 1.6900 है0, 21 रकबा 1.2000 है0, 22 रकबा 0.7600 है0 वाके ग्राम बैगनहेडी तहसील तिजारा में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पिता निहाला पुत्र जेठाराम की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, और उसके मरने के बाद विधिक वारिसान मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान काबिज व दाखिल होकर आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। निहाला के मरने के बाद मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को उक्त आराजी निहाला से विरासत से प्राप्त हुयी है, उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 7 प्रत्येक का अलग अलग 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 भाग है, और इसी कदर ही काबिज व दाखिल होकन काश्त कारोबार करते आ रहे है। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान ने निहाला के वारिसान की जॉच रिपोर्ट राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो को दे दिये थे, तथा मिन अपीलान्ट जो कि अपने परिवार से अलग रहता है, और राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो के समक्ष

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

उपस्थित नही हो सका तथा तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 7 राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो के समक्ष उपस्थित हो गये थे। तथा मिन अपीलान्ट के नाम के दस्तावेज भी राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो को दे दिये और राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने निहाला के सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज व मन्जूर करने का पूरा आश्वासन दिया था। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मृतक निहाला का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1564 दर्ज दिनाक 06.01.2023 व स्वीकार दिनाक 04.01.2024 को तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 02 लगायत 07 के नाम मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया। तरतीबी रेस्पोडेन्टान ने भी अपीलान्ट के कथनो के समर्थन में संयुक्तरूप से शपथ–पत्र पेश किया गया है, जो शामिल मिशल है। तहसीलदार तिजारा ने अपने जवाब में निवेदन किया है, कि विरासत का नामान्तकरण खोले जाने हेतु मृतक निहाला पुत्र जेठाराम का परिवार ग्राम बैगनहेडी में निवास नही करता है, जो दिल्ली में निवास करते है। विधिक वारिसान की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार सरस्वती विहार दिल्ली से ली गयी। तहसीलदार दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मृतक निहाला के वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 1564 दिनाक 04.01.2024 स्वीकृत किया गया है, प्राप्त जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट मनोहरलाल का नाम अंकित नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील में अपने आपको विधिक वारिस होना बताया है, साथ ही तरतीबी रेस्पोडेन्टान ने भी अपने संयुक्त शपथ–पत्र में भी अपना भाई होना तथा अपने भाई के नाम भी उक्त आराजीयात में से हिस्से अनुसार अपीलान्ट का भी हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु सहमति पेश की गयी है, ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 नामान्तकरण संख्या 1564 ग्राम बैगनहैडी तहसील तिजारा निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट / तरतीबी रेस्पोडेन्टान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमवर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा